कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांकः 28 दिनाँकः 8-4-24

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् संशोधित कार्यालय आदेश//

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/28/2024 दिनाँक 03.04.2024 के अनुसरण में दौसा न्याय क्षेत्र में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला–दौसा का पदस्थापन/स्थानान्तरण अन्य न्यायक्षेत्र में हो जाने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–15(2)मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं स्नेहा जाखड आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा** इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः स्था./2024/22 दिनाँक 26.03.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक कारणों से माह अप्रेल 2024 में दिनाँक 13 व 14 अप्रेल, 2024 की **रिमाण्ड ड्यूटी निधि शर्मा आर.जे.एस. के स्थान पर** तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारी की दिनाँक 13 व 14 अप्रेल, 2024 को **रिमाण्ड ड्यूटी** हेतु दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य(जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्य) की सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	सीमा करौल आर.जे.एस.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–01–दौसा (राज.)	13.04.2024 14.04.2024

निर्देशः–01– अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड–19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02–विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

03–अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04–यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05–नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे **किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।**

sd

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला–दौसा (राज.)

क्रमांकः– 856 **दिनाँकः–** 08-4-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा

02– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

03– सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री ....

04– प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा

05– लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा

06– अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा

07– उप– निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा

08– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा

09– जिला कारागृह दौसा

10–श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

11– सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।

12– आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

Sneh

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला–दौसा (राज.)